(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 19 अक्तूबर, 2015

आय-कर

का.आ. 2860 (अ).- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम 1962 में, -

(I) नियम 10ख में, -

(i) उप नियम 4 में , -

(क) "वित्तीय वर्ष से संबंधित", शब्दों के पश्चात् कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर "(इस नियम में इसके पश्चात् और 'चालू वर्ष' के रूप में नियम 10गक में निर्दिष्ट)" अत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) परंतुक में शब्द "ऐसे वित्तीय वर्ष" के स्थान पर "चालू वर्ष" रखे जाएंगे;

(ग) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

परंतु यह और कि प्रथम अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रविष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के साथ किसी अनियंत्रित संव्यवहार की तुलनीयता का विश्लेषण करते हुए पहला परंतुक लागू नहीं होगा ।";

(ii) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) किसी ऐसे मामले में जहां प्रथम अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रविष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के सन्निकट मूल्य के अवधारण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति के साथ **धा**रा 92ग की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग) या खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट पद्धति है, वहां उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिदिष्ट घरेलू संव्यवहार के साथ अनियंत्रित संव्यवहार की तुलनीयता का विश्लेषण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आंकड़े, -

(i) चालू वर्ष से संबंधित आंकड़े; या

(ii) यदि चालू वर्ष से संबंधित आंकड़े निर्धारिती द्वारा चालू वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर की विवरणी देने के समय उपलब्ध नहीं है, तो चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित आंकड़े होंगे:

परंतु जहां चालू वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारण कार्यवाही के दौरान किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के सन्निकट मूल्य का अवधारण करते समय चालू वर्ष से संबंधित आंकड़े पश्चातवर्ती उपलब्ध हो, वहां ऐसे आंकड़े ऐसा अवधारण करने के लिए, इस बात पर विचार किए बिना कि सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी देते समय आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, उपयोग में लाए जाएंगे ।";

(II) नियम 10ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम और दृष्टांत अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"10गक. कतिपय मामलों में सन्निकट मूल्य की संगणना - (1) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति के उपयोजन के कारण एक मूल्य से अधिक मूल्यों का अवधारण होता है, वहां ऐसे किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के संबंध में सन्निकट मूल्य की संगणना इस नियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

(2) किसी डेटासैट का सन्निर्माण उपनियम (1) में निर्दिष्ट मूल्यों को आरोही क्रम में रखते हुए किया जाएगा और सन्निकट मूल्य का अवधारण इस प्रकार सन्निर्मित डेटासैट के आधार पर किया जाएगा:

परंतु नियम 10ख के उपनियम (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में जहां चालू वर्ष से संबंधित आंकड़ों के आधार पर तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की पहचान की गई है और उक्त अनियंत्रित संव्यवहार का जिम्मा लेने वाले उद्यम, [उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार का जिम्मा लेने वाला उद्यम न होते हुए] चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में से एक या दोनों में वही या समान तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का जिम्मा लिया है तो, --

(i) चालू वर्ष में किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का मूल्य अवधारित करने के लिए उपयोग में लाई गई सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति पूर्वोक्त अवधि में किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों को समान रीति में लागू होगी और ऐसे अनियंत्रित संव्यवहारों के संबंध में मूल्य अवधारित किए जाएंगे ; और

(ii) उपनियम (3) में उपबंधित रीति के अनुसार चालू वर्ष में और इससे पूर्ववर्ती पूर्वोक्त अवधि में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों के संगणित मूल्यों का भारित औसत उप नियम (1) में निर्दिष्ट मूल्य की बजाए डेटासैट में सम्मिलित किया जाएगा:

परंतु यह और कि नियम 10ख के उप नियम (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले में जहां चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित आंकड़ों के आधार पर तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार की पहचान की गई है और उक्त अनियंत्रित संव्यवहार का जिम्मा लेने वाले उद्यम, [उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार का जिम्मा लेने वाला उद्यम न होते हुए], ने उक्त वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में वही या समान तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का जिम्मा लिया है तो,

(i) ऐसे अनियंत्रित संव्यवहार के संबंध में मूल्य का अवधारण किसी समान रीति में सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति को लागू करते हुए वैसे किया जाएगा जैसे चालू वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का मूल्य अवधारित करने के लिए लागू किया गया था; और

(ii) उपनियम (3) में उपबंधित रीति के अनुसार दो वर्ष की पूर्वोक्त अवधि में किए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों के मूल्यों के भारित औसत की संगणना उप नियम (1) में निर्दिष्ट मूल्य के बजाए डेटासैट में सम्मिलित किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां नियम 10ख के उपनियम (5) के परंतुक के संबंध में चालू वर्ष से संबंधित आंकड़ों का उपयोग यह सिद्ध करता है कि, --

(i) उद्यम ने चालू वर्ष के दौरान वही या समान अनियंत्रित संव्यवहार ने किए हैं ; या

(ii) किसी उद्यम द्वारा चालू वर्ष में किया गया अनियंत्रित संव्यवहार तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार नहीं है,

तो, इस बात का विचार किए बिना कि ऐसे किसी उद्यम ने चालू वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में या ऐसे ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किया है, यथास्थिति, तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार का मूल्य या अनियंत्रित संव्यवहार के मूल्यों का भारित औसत जिनका जिम्मा ऐसे उद्यमी द्वारा लिया गया हो, डेटासैट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(3) जहां किसी उद्यम ने एक वित्तीय वर्ष से अधिक में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार किए हैं वहां उप नियम (2) के प्रयोजनों के लिए ऐसे संव्यवहारों के मूल्यों का भारित औसत निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) जहां नियम 10ख के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यों का अवधारण किया गया है, वहां मूल्यों का भारित औसत बिक्री की मात्रा, जिस पर अलग-अलग मूल्यों का अवधारण करने के लिए विचार किया गया है, को समनुदेशित करते हुए भार के साथ संगणित किया जाएगा ।

(ii) जहां नियम 10ख के उपनियम (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यों का अवधारण किया गया है, वहां मूल्यों का भारित औसत खर्चों की मात्रा, जिस पर अलग-अलग मूल्यों का अवधारण करने के लिए विचार किया गया है, को समनुदेशित करते हुए भार के साथ संगणित किया जाएगा;

(iii) जहां नियम 10ख के उपनियम (1) के खंड (ड.) में निर्दिष्ट पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यों का अवधारण किया गया है, वहां मूल्यों का भारित औसत, यथास्थिति, उपगत खर्चों या की गई बिक्री या नियोजित की गई या की जाने वाली संपत्तियों की मात्रा,

अन्य कोई आधार, जिस पर अलग-अलग मूल्यों का अवधारण करने के लिए विचार किया गया है, को समनुदेशित करते हुए भार के साथ संगणित किया जाएगा;

(4) जहां लागू की गई सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति धारा 92ग की उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (च) में निर्दिष्ट पद्धति से अन्यथा कोई पद्धति है और उप नियम (2) के अनुसार तैयार किया गया डेटासैट छह या अधिक प्रविष्टियों से मिलकर बना है, वहां सन्निकट सीमा डेटासैट के 35वां शतमक से प्रारंभ होते हुए और डेटासैट के 65वें शतमक पर समाप्त होते हुए सन्निर्मित किया जाएगा और सन्निकट मूल्यों की संगणना उपनियम (5) और उपनियम (6) के अनुसार की जाएगी ।

(5) यदि मूल्य जिस पर किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार वास्तव में किया गया है, उपनियम (4) में निर्दिष्ट सीमा के भीतर है, तो ऐसा मूल्य जिस पर किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार वास्तव में किया गया है सन्निकट मूल्य समझा जाएगा ।

(6) यदि मूल्य जिस पर किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या किसी विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार वास्तव में किया गया है, उपनियम (4) में निर्दिष्ट सन्निकट सीमा से बाहर है, तो सन्निकट मूल्य डेटासैट के औसत के रूप में लिया जाएगा

(7) उस दशा में जहां उपनियम (4) के उपबंध लागू नहीं होते है, सन्निकट कीमत डेटासेट में सम्मलित सभी मूल्यों का अंकगणतीय माध्य होगा ।

परंतु इस प्रकार अवधारित सन्निकट कीमत और उस कीमत के बीच भिन्नता, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार वास्तव में किए गए हैं, ऐसे प्रतिशत से अधिक नहीं है, जो पश्चातवर्ती के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, वह कीमत जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार वास्तव में हुए हैं, को सन्निकट कीमत माना जाएगा ।

(8) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) डाटा सेट का "पैंतीसवां प्रतिशतक", जिसके मूल्य आरोही क्रम में रखे गए हैं, डाटा सेट में न्यूनतम मूल्य होगा मानो डाटा सेट में सम्मिलित मूल्यों का कम से कम पैंतीस प्रतिशत ऐसे मूल्य के समतुल्य या उससे कम है ।

परंतु यह कि पूर्वोक्त मूल्य के समतुल्य या उससे कम मूल्यों की संख्या पूर्णांक है तो पैंतीसवां प्रतिशतक ऐसे मूल्य का और डाटा सेट में इसके तुरंत पश्चातवर्ती मूल्य का अंक गणतीय माध्य होगा ;

(ख) किसी डाटा सेट का "छठा-पांचवां प्रतिशतक" जिसके मूल्यों को आरोही क्रम में रखा गया है, डाटा सेट में न्यूनतम मूल्य होगा मानो डाटा सेट में सम्मिलित मूल्यों का पैंतीस प्रतिशत ऐसे मूल्य के समतुल्य या उससे कम है :

परंतु यह कि पूर्वोक्त मूल्य के समतुल्य या उससे कम मूल्यों की संख्या पूर्णांक है तो पैंसठवां प्रतिशतक ऐसे मूल्य का और डाटा सेट में इसके तुरंत पश्चातवर्ती मूल्य का अंक गणतीय माध्य होगा ;

(ग) डाटा सेट का "माध्य" जिसके मूल्यों को आरोही क्रम में रखा गया है, डाटा सेट में न्यूनतम मूल्य होगा मानो डाटा सेट में सम्मिलित कम से कम पचास प्रतिशत मूल्य ऐसे मूल्य के समतुल्य या उससे कम हो :

परंतु यह कि पूर्वोक्त मूल्य के समतुल्य या उससे कम मूल्यों की संख्या पूर्णांक है तब माध्य ऐसे मूल्य और डाटा सेट में इसके तुरंत पश्चातवर्ती मूल्य का अंक गणतीय माध्य होगा ;

दृष्टांत 1.—चालू वर्ष के लिए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों या ऐसे संव्यवहारों को हाथ में लेने वाले निकायों का डाटा निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने के समय उपलब्ध है और उसके आधार पर सात उपक्रमों की पहचान चालू वर्ष में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार हाथ में लेने वालों के रूप में की गई है । सभी पहचाने गए तुलनीय उपक्रमों में चालू वर्ष के पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार भी हाथ में लिए हैं । सर्वाधिक उपयुक्त विधथ को लागू करने में उपयोग किया गया लाभ स्तर उपदर्शक (पीएलआई) प्रचालन लागत की तुलना में प्रचालन लाभ है (ओपी/ओसी) । भारित औसत ओसी के भार के आधार पर नीचे संगणित अनुसार है ।

क्रम सं.	**नाम**	**वर्ष 1**	**वर्ष 2**	**वर्ष 3 [चालू वर्ष]**	**ओसी और ओपी का योग**	**भारित औसत**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	क	ओसी = 100 ओपी= 12	ओसी= 150 ओपी = 10	ओसी = 225 ओपी = 35	योग ओसी = 475 योग ओपी = 57	ओपी/ओसी = 12%

2	ख	ओसी = 80 ओपी= 10	ओसी= 125 ओपी = 5	ओसी= 100 ओपी = 10	योग ओसी = 305 योग ओपी = 25	ओपी/ओसी = 8.2%
3	ग	ओसी = 250 ओपी = 22	ओसी = 230 ओपी = 26	ओसी = 250 ओपी= 18	योग ओसी = 730 योग ओपी = 66	ओपी/ओसी = 9%
4	घ	ओसी= 180 ओपी = (-)9	ओसी = 220 ओपी = 22	ओसी = 150 ओपी = 20	योग ओसी = 550 योग ओपी = 33	ओपी/ओसी = 6%
5	ङ	ओसी = 140 ओपी = 21	ओसी = 100 ओपी = (-) 8	ओसी = 125 ओपी = (-) 5	योग ओसी = 365 योग ओपी = 8	ओपी/ओसी = 2.2%
6	च	ओसी = 160 ओपी = 21	ओसी= 120 ओपी = 14	ओसी = 140 ओपी = 15	योग ओसी = 420 योग ओपी = 50	ओपी/ओसी = 11.9%
7	छ	ओसी = 150 ओपी = 21	ओसी= 130 ओपी = 12	ओसी = 155 ओपी = 13	योग ओसी = 435 योग ओपी = 46	ओपी/ओसी = 10.57%

पूर्वोक्त से डाटा सेट का अर्थान्वयन नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा :

क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7
मूल्य	2.2%	6%	8.2%	9%	10.57%	11.9%	12%

सन्निकट रेंज का अर्थान्वयन करने के लिए पैंतीसवें और पैंसठवें प्रतिशतक के डाटा स्थान की संगणना नीचे दी गई रीति में की जाएगी, अर्थात् :

डाटा सेट में डाटा बिन्दुओं की कुल संख्या* (35/100)

डाटा सेट में डाटा बिन्दुओं की कुल संख्या* (65/100)

अत:, पैंतीसवें प्रतिशतक का डाटा स्थान = 7*0.35 = 2.45.

चूंकि यह एक पूर्णांक नहीं है, अगला उच्चतर डाटा स्थान अर्थात् तीसरे स्थान पर कीमत को उसके नीचे कीमत के कम से कम पैंतीस प्रतिशत होना चाहिए । पैंतीस प्रतिशतक इसलिए तीसरे स्थान पर कीमत है, अर्थात् 8.2% ।

छठे-पांचवें प्रतिशतक का डाटा स्थान = 7 * 0.65 = 4.55 है ।

चूंकि यह एक पूर्णांक नहीं है, अगला उच्चतर डाटा स्थान अर्थात् पांचवे स्थान पर कीमत को उसके नीचे कीमत के कम से कम पैंसठ प्रतिशत होना चाहिए । पैंसठ प्रतिशतक इसलिए पांचवे स्थान पर कीमत है, अर्थात् 10.57% ।

सन्निकट रेंज 8.2% पर प्रारंभ होगी और 10.57% पर समाप्त होगी ।

इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के अंतरण कीमत में ओपी/ओसी प्रतिशत है, जो 8.2% के समतुल्य या उससे अधिक है या 10.57% से कम या उसके समतुल्य है, या रेंज में है । ऐसे मामलों में अंतरण कीमत को सन्निकट कीमत माना जाएगा और किसी समायोजन की अपेक्षा नहीं होगी ।

तथापि, यदि अंतरण कीमत सन्निकट रेंज से बाहर है, जिसे 6.2% तब सन्निकट कीमत का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए डाटा सेट की माध्यिका कीमत को पहले निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा ।

माध्यिका के डाटा स्थान की संगणना पहले *(50/100) डाटा सेट में डाटा बिन्दुओं की कुल संख्या की संगणना करके आकलित की जाएगी । इस मामले में 7* 0.5 = 3.5 ।

चूंकि यह एक पूर्णांक नहीं है, अगला उच्चतर डाटा स्थान अर्थात् चौथे स्थान का मूल्य उसके नीचे मूल्यों (माध्यिका) का कम से कम 50 प्रतिशत होगा ।

माध्यिका चौथे स्थान पर मूल्य है, अर्थात् 9% । इसलिए सन्निकट मूल्य को 9% माना जाएगा और तदनुसार समायोजन किया जाएगा ।

दृष्टांत 2.—निर्धारिती द्वारा आय की रिटर्न प्रस्तुत करने के समय उपक्रम क, ग, ङ, च, और छ के संबंध में चालू वर्ष के लिए डाटा उपलब्ध है और चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष के लिए डाटा का उपयोग उपक्रम ख और उपक्रम घ द्वारा हाथ में लिए गए तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहारों की पहचान करने के लिए किया गया है । इसके अतिरिक्त, यदि उपक्रमों ने सारणी में दिए गए ब्यौरों के अनुसार पहले के वर्षों में तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार भी किए हैं तो भारित औसत और डाटा सेट की संगणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी ।

क्रम सं.	**नाम**	**वर्ष 1**	**वर्ष 2**	**वर्ष 3 [चालू वर्ष]**	**ओसी और ओपी का योग**	**भारित औसत**

1	2	3	4	5	6	7
1	क	ओसी 100 ओपी = 12	ओसी = 150 ओपी= 10	ओसी = 225 ओपी = 35	कुल ओसी = 475 कुल ओपी = 57	ओपी/ओसी = 12%
2	ख	ओसी = 80 ओपी = 10	ओसी = 125 ओपी = 5		कुल ओसी = 205 कुल ओपी = 15	ओपी/ओसी = 7.31%
3	ग	ओसी 250 ओपी = 22	ओसी = 230 ओपी = 26	ओसी = 250 ओपी = 18	कुल ओसी = 730 कुल ओपी = 66	ओपी/ओसी = 9%
4	घ		ओसी = 220 ओपी = 22		कुल ओसी = 220 कुल ओपी = 22	ओपी/ओसी = 10%
5	ङ			ओसी = 100 ओपी = (-) 5	कुल ओसी = 100 कुल ओपी = (-)5	ओपी/ओसी = (-)5%
6	च	ओसी 160 ओपी = 21	ओसी= 120 ओपी = 14	ओसी = 140 ओपी = 15	कुल ओसी = 420 कुल ओपी = 50	ओपी/ओसी = 11.9%
7	छ	ओसी 150 ओपी = 21	ओसी= 130 ओपी = 12	ओसी = 155 ओपी = 13	कुल ओसी = 435 कुल ओपी = 46	ओपी/ओसी = 10.57%

पूर्वोक्त से डाटा सेट का अर्थान्वयन नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा :

क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7
मूल्य	(-)5%	7.31%	9%	10%	10.57%	11.9%	12%

यदि निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान चालू वर्ष के लिए डाटा उपलब्ध है और ऐसे डाटा का उपयोग यहां उपदर्शित करता है कि ख कोई गुणात्मक या मात्रात्मक फिल्टर पास करने में असफल रहा है या किसी अन्य कारण से हाथ में लिया गया संव्यवहार तुलनीय अनियंत्रित संव्यवहार नहीं है, तब ख पर डाटा सेट में सम्मिलित करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रम पर उपलब्ध डाटा उपक्रम ज द्वारा हाथ में लिया गया नया तुलनीय अनियंत्रित उपक्रम उपदर्शित करता है तब उसे शामिल किया जाएगा । भारित औसत और डाटा सेट की पुन: संगणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी :

क्रम सं.	**नाम**	**वर्ष 1**	**वर्ष 2**	**वर्ष 3 [चालू वर्ष]**	**ओसी और ओपी का योग**	**भारित औसत**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	क	ओसी= 100 ओपी= 12	ओसी = 150 ओपी= 10	ओसी = 225 ओपी = 35	कुल ओसी = 475 कुल ओपी = 57	ओपी/ओसी = 12%
2	ग	ओसी = 250 ओपी = 22	ओसी = 230 ओपी **= 26**	ओसी = 250 ओपी = **18**	कुल ओसी = 730 कुल ओपी = 66	ओपी/ओसी = 9%
3	घ		ओसी = 220 ओपी = 22	ओसी = 150 ओपी = 20	कुल ओसी = 370 कुल ओपी = 42	ओपी/ओसी = **11.35%**
4	ङ			ओसी = 100 ओपी = **(-) 5**	कुल ओसी = 100 कुल ओपी = (-)5	ओपी/ओसी = (-)5%
5	च	ओसी = 160 ओपी = 21	ओसी= 120 ओपी **= 14**	ओसी= 140 ओपी = 15	कुल ओसी = 420 कुल ओपी = 50	ओपी/ओसी = **11.9%**
6	छ	ओसी= 150 ओपी = 21	ओसी = 130 ओपी **= 12**	ओसी = 155 ओपी = 13	कुल ओसी = 435 कुल ओपी = 46	ओपी/ओसी = **10.57%**
7	ज	ओसी = 150 ओपी= 12		ओसी = **80** ओपी = 10	कुल ओसी = 230 कुल ओपी = 22	ओपी/ओसी = **9.56%**

पूर्वोक्त से डाटा सेट का अर्थान्वयन नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा :

क्रम सं.	1	2	3	4	5	6	7
मूल्य	(-)5%	9%	9.56%	10.57%	11.35%	11.9%	12%

दृष्टांत 3.—किसी दिए गए मामले में आरोही क्रम में रखी गई 20 कीमतों का डाटा सेट नीचे दिए गए अनुसार है :

क्रम सं.	**लाभ (हजार रुपए में)**
1	**2**
1	42.00

2	43.00
3	44.00
4	44.50
5	45.00
6	45.25
7	47.00
8	48.00
9	48.15
10	48.35
11	48.45
12	48.48
13	48.50
14	49.00
15	49.10
16	49.35
17	49.50
18	49.75
19	50.00
20	50.15

दृष्टांत 1 में दिए गए सूत्र का उपयोग करके पैंतीसवें और पैंसठवें प्रतिशतक का अवधारण नीचे दिए गए अनुसार है :

पैंतीसवा प्रतिशतक स्थान = 20* (35/100) = 7

पैंसठवा प्रतिशतक स्थान = 20* (65/100) = 13

चूंकि पैंतीसवां प्रतिशतक स्थान पूर्णांक है, यह सातवें और अगली उच्चतर कीमतों का औसत होगा अर्थात् आठवां स्थान । यह (47 + 48) /2 = 47,500 रुपये है ।

इसी तरह, पैंसठवा प्रतिशतक स्थान पूर्णांक है, यह तेरहवें और चौदहवें स्थान की कीमतों का औसत होगा । यह (48.5 + 49) /2 = 48,750 रुपये है ।

रेंज की माध्यिका (पन्द्रहवां प्रतिशतक स्थान) = 20* (50/100) = 10

चूंकि पन्द्रहवां प्रतिशतक स्थान पूर्णांक है, यह दसवीं और अगली उच्चतर कीमतों का औसत होगा, अर्थात् ग्यारहवां स्थान । यह (48.35 + 48.45)/2 = 48,400 रुपये है ।

इस प्रकार, इस मामले में सन्निकट रेंज 47,500 से 48,750 रुपये होगी ।

परिणामस्वरूप कोई संव्यवहार कीमत जो 47,500 के समतुल्य या उससे अधिक है किंतु 48,750 रूपए से कम या या उसके समतुल्य है, को सन्निकट रेंट के माना जाएगा।"।

अधिसूचना सं. 83 /2015 [फा.सं. 142/25/2015-टीपीएल]

(आरजू गरोडिया)
अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ 2791(अ) तारीख 12 अक्तूबर, 2015 द्वारा किया गया था ।